



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 01.06.2026**

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त बल्लू उर्फ बली मोहम्मद पुत्र हाफिज निवासी इन्द्रा स्टेडियम के सामने किराये का मकान कस्बा व थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर वरामद होने के संबन्ध में कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 2649/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **1 वर्ष 02 माह का साधारण कारावास एवं 500/- रुपये के अर्धदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय सी.जे.एम.उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. बल्लू उर्फ बली मोहम्मद उपरोक्त को दोषी पाते हुए **01 वर्ष 02 माह का साधारण कारावास एवं 500/- रुपये के अर्धदण्ड** से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी  
विनोद कुमार



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल  
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहम्मरि उ0नि0  
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार  
विजय राज